इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2022–भाद्र 18, शक 1944

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्र. एफ–3–85–2021–अठारह–5.– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 26 नवम्बर 2021 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, उपनियम (14) के बाद निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(15) नियम 14 के अंतर्गत विकास योजना अनुमोदित होने पर, यदि नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन आवेदित भूमि उपांतरण संबंधी लंबित आवेदनों का समाधान हो जाता है तो ऐसे आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए नियम 15 के अधीन कोई उद्ग्रहण प्रभारित नहीं किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्र. एफ–03–85–2021–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ–03–85–2021–अठारह–5, दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th August 2022

No. F 3-85-2021-XVIII-5.– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 26th November, 2021 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rule 15, after sub-rule (14), the following sub-rule shall be inserted namely :-

"(15) In the event of approval of the Development plan under Rule 14, if the pending applications for land use change under sub-rule (1) is resolved, such application shall be filed and for this purpose no levy shall be charged under Rule 15."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2022

क्रमांक 6590 /12/2022/50–2: राज्य शासन एतद द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022 के नियम 100 (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य शासन निम्नलिखित संशोधन करती है –

1. नियम 36 की कंडिका (3) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 15 का लोप किया जाता है।

2. नियम 36 की कंडिका (3) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 16 में से (केवल शाकाहारी को) का लोप किया जाता है।

3. नियम 36 की कंडिका (6)(दो) का लोप किया जाता है।

4. नियम 36 की कंडिका (8)(तीन) का लोप किया जाता है एवं उसके स्थान पर निम्नलिखत खंड अंतः स्थापित किया जाता है–

"बालक के बीमार होने की स्थिति में अथवा वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए अतिरिक्त आहार संस्था के चिकित्सक की सलाह पर दिया जायेगा जो दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों को दैनिक आहार अनुसार दिये जाने वाले निर्धारित आहर से अतिरिक्त दिया जायेगा।"

5. नियम 101 को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर निम्नानुसार नियम स्थापित किया जाता है–

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 898 (ई) दिनांक 21 सितम्बर 2016 (सशोधन दिनांक 01 सितम्बर 2022 के पूर्व की अधिसूचना) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है:

परन्तु यह कि इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में लागू किसी भी नियम के प्रावधानों के तहत की गई कोई कार्रवाई या जारी आदेश, जहां तक वह इन नियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं है, इन नियमों के प्रावधानों के तहत जारी किया गया या लिया गया माना जाएगा।

S.N. 6590 /12/2022/50-2 : In exercise of the powers conferred by section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (2 of 2016), the State Government, in exercise of the powers conferred in sub-rules of (1) (2) of Rule 100 of the Madhya Pradesh Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2022, makes the following amendments-

1. Serial number 15 of the table mentioned in clause (3) of rule 36 is omitted.
2. Serial number 16 of the table mentioned in clause (3) of rule 36, (vegetarian only) is omitted.
3. In rule 36, clause (6) (2) is omitted
4. Clause (8) (3) of Rule 36 is omitted and the following clause is substituted— "In case of child becoming ill or for weight gain or other health reasons, additional diet will be given on the advice of the doctor of the institution, which will be given in addition to the prescribed diet given to sick children according to the daily diet for the purpose of calculation of daily ration"
5. Notification number G.S.R. 898 (E) dated 21st September, 2016 of Ministry of Women and Child Development (notification prior to the amendment dated the 1st September 2022) is hereby repealed:

Provided that before the notification of these rules, any action taken or order issued under the provisions of any rule in force in the State of Madhya Pradesh, as long as, it is not inconsistent with the provisions of these rules, shall be deemed to have been issued or taken under the provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.